

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्री मराज

बनाम श्री लाराम

धारा 133-134 बाद / प्रा0प0 / अपील

2/18

प्र0सं0

/15

8.1.18

बाद जाँच बाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना कलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 21.2.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

21.2.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित पीठासीन अधिकार जी
अन्य का प. म. प. पत्रावली
दिनांक 18.4.18 को पेश हो।

राज
आदेश से रीडर

29.5.18 पत्रावली के अन्तर्गत श्री लाराम के पत्रावली पर पेश / पेशावा अलावा से लिखवा जावा शामिल पत्रावली विचार गपा पत्रावली पेशावा सुमा होकर जम्बर से काम हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

जोसेफ शंकराबाद

मैट्रीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर०ए०एस०)

रकदना संख्या:- 2/18

शैमराज रामलाल पह्लाद, भेरु, कमला, लीला, प्रेमो पिता मंगु

कैसी देवा मंगु शुभावल

इदा पिता गोमा शुभावल

सम्पत पिता - - - - - स्मरत किलिपावल

---प्रार्थीमण

बनाम

1- सीताराम पिता मेधा वलाड

2- जुम्मा पिता माना - - -

3- भेरु पिता फेरु - - -

4- नारायण पिता सुभा रूज

5- सुरा पिता मोला मोला

6- शंभुलाल पिता जोगावल वाहमण

7- इतार पिता जोगा - - - किलिपावल

8- लक्ष्मीदेव हमारगढ

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 29.5.10

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम किलिपावल पटवार हल्का किलिपावल तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1628/930

कुल किता 1 रकबा 0 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8.1.10 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम किलिपावल पटवार ह० तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1628/930


कुल किता 1 रकबा 0 बीघा 05 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शंकराबाद को 500/-रु० (अक्षरे- पाँचसौ रूपया

किलिपावल

पाँचसौ रूपया


प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें।

.....)
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।


पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़